2022/22 1(10) स्वीकार 23/3

**न्यायालय अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)**

# सरवरक (मुख पृष्ठ)

| सीमा | नम्बर रजिस्टर | दायर करने की तारीख | तारीख निर्णय | पृष्ठों की संख्या | नम्बर अमिलेखागार |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 | 22/22 | 16-02-22 | | | |

कृष्णलाल **बनाम** रूपाराम वगैरा

वकील वादी — श्री ~~सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट~~

सूचि कागजात

वकील प्रतिवादी — श्री ~~राजवीर भादू~~

| क्रम संख्या | विवरण कागजात | कागजों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 15-3-22 (8) 23.5.23 J (25) 25/5/22 | |
| 31 | 23-3-22 (12) 15.6.23 | |
| 25 | 30-3-22 (15) 27.7.23 T | |
| 16 | 27-4-22 (1) 12.9.23 | |
| 12 | 11-5-22 | |
| 41 | 18-5-22 | |
| 31 | 10-6-22 | |
| 30 | 20-7-22 27.7.22 | |
| 25 | 2.8.22 T (2.8.22) | |
| | 23.8.22 | |
| 58 | 18.8.22 | |
| 20 | 19.9.22 T AD | |
| 13 | 6-10-22 | |
| 22 | 27.10.22 | |
| 7 | 30-11-22 | |
| 4 | 27.12.22 | |
| 25 | 4-1-23 | |
| 24 | 11.1.23 | |
| 13 | 15/2/23 J | |
| 19 | 2/3/23 | |
| 3 | 18/4/23 J | |
| (12) | 16-10-23 T | |
| 21 | 21-11-23 | |
| 4 | 15/1/24 | |
| 21 | 13/02/24 | |
| 6 | 02/4/24 | |
| 8 | 8/5/24 | |
| | 19/6/24 | |
| | 22-7-24 T | |
| | 24-7-24 T | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:01:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

शिकायत प्रार्थना अ0 धारा 11/14 कोला0 एक्ट एवं धारा 14/4 आवंटन नियम 1970

कृष्ण लाल बनाम रूपा राम वगैरा

16–02–2022

पत्रावली जिला मुख्यालय कैम्प श्री गंगानगर पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। शिकायत प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। शिकायत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे।

शिकायत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 को शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पेपर आवंटन है। मौके पर अप्रार्थी सं0 1 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। पेपर आवंटी के आधार पर सरकारी मशीनरी से मिलीभगत करके खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं तथा अब आगे बिना कब्जा काश्त के बेचने की फिराक में हैं। उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 2 दो को माफी कोटवाल अहतयात के रूप में पेपर आवंटन हुई है। अतः शिकायत के निस्तारण तक रहन बैय ना करे व मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2062 के अनुसार माफी कोटवाल अहतयात रूपाा वल्द भैरा कौम नाथ के नाम कुल 14.269 है0 बारानी भूमि दर्ज है। तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा जरिये कमांक 127/83 दिनांक 25–5–96 से रूपाराम व रामू के नाम सनद जारी की हुई है, जिसमें रूपा की जाति नायक व रामू की जाति चमार अंकित है जबकि जमाबंदी में रूपा की जाति नाथ अंकित है। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा तथ्यों को छिपा कर आवंटन करवाया गया तथा अब भूमि को बेचने की फिराक में है। यदि भूमि का विकय हो गया तो प्रार्थना पत्र का मकसद समाप्त हो जायेगा व अपूर्णनीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र अस्थाई तौर पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थना पत्र में अकिंत विवादित भूमि रोही किशनपुरा के खाता सं0 152/191 के खसरा नं0 89 में 2.707 है0 बारानी, खसरा नं0 90 में 2.846 है0 बारानी, खसरा नं0 91 में 3.188 है0 बारानी, खसरा नं0 99 में 5.528 है0 बारानी भूमि कुल 14.269 है0 बारानी भूमि के संबंध में मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। वकील प्रार्थी सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम (3) की पालना करें। आदेशिका की प्रति जारी हो। पत्रावली दिनांक 15–03–2022 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

15-3-22

ADM साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 23-3-22 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:01:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

# फर्द अहकाम

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम की तारीख |
|---|---|---|
| 24-7-24 | पत्रावली पेश हुई। वकील शिकायतकर्ता को अप्रार्थी उपस्थित। वकील शिकायतकर्ता की तलबी हेतु पूर्व में 15 अवसर प्रदान किए जा चुके है प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक रजि. A.D रसीदे प्रस्तुत नहीं की है। अतः पत्रावली तामील/तलबी अभाव में खारिज की जाती है। पत्रावली रजिस्टर से कम होकर मिसल फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। वकील प्रार्थी को सूचित किया जावे। <br> अतिरिक्त जिला कलक्टर <br> सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:01:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner